



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/ 864

जयपुर, दिनांक: 28-12-2025

::अधिसूचना::

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/778 दिनांक 20.11.2025 एवं संख्या एफ.15(39)पंरा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/819 दिनांक 21.11.2025 जिला बून्दी की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन बाबत दिनांक 21.11.2025 एवं 24.11.2025 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 6(ग) में प्रकाशित अधिसूचनाओं में लिपिकीय त्रुटिवश गलत प्रकाशन होने की वजह से व प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण पश्चात, निम्नानुसार अंकित विवरण के अनुसार एतद्वारा संशोधन कर शुद्ध पत्र जारी किया जाता है:-

नीचे दिये गये कॉलम संख्या 6 में अंकित विवरण के स्थान पर कॉलम 7 में अंकित विवरण को सही समझ कर पढा जाये।

ग्राम पंचायतों हेतु

| क्र. सं. | पंचायत समिति का नाम | राजपत्र पृष्ठ संख्या | क्र.सं. | कॉलम संख्या | पूर्व प्रकाशित विवरण | संशोधित विवरण |
|----------|---------------------|----------------------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बून्दी | 785 | 15 | 5 | 2. भवानीपुरा उर्फ बांगामाता | 2. बांगामाता उर्फ भवानीपुरा |
| 2 | हिण्डोली | 771 | 6 | 5 | 3. बहादुरपुरा | विलोपित |
| 3 | हिण्डोली | 771 | 7 | 5 | | 4. बहादुरपुरा |
| 4 | बून्दी | 784 | 3 | 4 | मंडावरा | भैरूपुरा बरड |
| 5 | केशोरायपाटन | 791 | 23 | 5 | 2. सुनारी | विलोपित |
| 6 | केशोरायपाटन | 789 | 11 | 5 | | 7. सुनारी |
| 7 | केशोरायपाटन | 789 | 11 | 4 | नयागांव | सुनारी |
| 8 | केशोरायपाटन | 789 | 11 | 5 | 1. नयागांव | विलोपित |
| 9 | केशोरायपाटन | 791 | 23 | 5 | | 2. नयागांव |
| 10 | नैनवां | 780 | 25 | 5 | 2. सुसाडिया | विलोपित |

Handwritten signature

| | | | | | | |
|----|--------|-----|----|---|---------------------------|--|
| | | | | | 5. माण्डपुर | |
| 11 | नैनवां | 780 | 26 | 5 | 3. सबलपुरा 4. मोतीपुरा | विलोपित |
| 12 | नैनवां | 780 | 26 | 5 | | 5. माण्डपुर |
| 13 | नैनवां | 780 | 27 | 4 | | मोतीपुरा |
| 14 | नैनवां | 780 | 27 | 5 | | 1. मोतीपुरा 2. सबलपुरा 3. सुसाडिया |
| 15 | बून्दी | 786 | 17 | 4 | महरामपुरा | बिजनावर |

पंचायत समितियों हेतु

| क्र. सं. | पंचायत समिति का नाम | राजपत्र पृष्ठ संख्या | क्र.सं. | कॉलम संख्या | पूर्व प्रकाशित विवरण | संशोधित विवरण |
|----------|---------------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नैनवां | 1964 | 3 | 5 | 11. पाण्डुला | विलोपित |
| 2 | नैनवां | 1964 | 3 | 5 | 18. ताकला | विलोपित |
| 3 | तालेडा | 1967, 1968 | 6 | 3 | 42. देलुन्दा | विलोपित |
| 4 | खटकड | 1969, 1970 | 8 | 5 | 14. देलुन्दा | विलोपित |
| 5 | तालेडा | 1967, 1968 | 6 | 5 | 41. गरडदा | विलोपित |
| 6 | बून्दी | 1968, 1969 | 7 | 3 | 35. मेहरामपुरा | 35. बिजनावर |
| 7 | बून्दी | 1968, 1969 | 7 | 5 | 21. मेहरामपुरा | 21. बिजनावर |
| 8 | बून्दी | 1968, 1969 | 7 | 5 | 23. जखाणा | विलोपित |
| 9 | खटकड | 1969, 1970 | 8 | 5 | | 24. जखाणा |
| 10 | बून्दी | 1968 | 7 | 3 | 5. मण्डावरा | 5. भैरुपुरा बरड |
| 11 | बून्दी | 1968 | 7 | 5 | 4. मण्डावरा | 4. भैरुपुरा बरड |
| 12 | केशोरायपाटन | 1965, 1966 | 4 | 3 | 57. नयागांव | 57. सुनारी |
| 13 | लाखेरी | 1965, 1966 | 5 | 5 | 28. नयागांव | 28. सुनारी |
| 14 | नैनवा | 1964, 1965 | 3 | 3 | | 42. मोतीपुरा |
| 15 | खटकड | 1969, 1970 | 8 | 5 | | 25. मोतीपुरा |

Handwritten signature

| | | | | | | |
|----|-------|----------------|---|---|------------|------------|
| 16 | खटकड | 1969 , 1970 | 8 | 5 | 23. जेतपुर | विलोपित |
| 17 | नैनवा | 1964 , 1965 | 3 | 5 | | 41. जेतपुर |

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ० जोगा राम)

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान ।
2. अति. मुख्य सचिव मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
9. विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान ।
10. रक्षित पत्रावली।

D. D. J.
28/12/2025
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

(प्रथम)